न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 09/2023

1. रामकिशोर पुत्र रामू
2. रामजीलाल पुत्र रामू
3. मनफूली पुत्री रामू
4. घीसी पुत्री रामू
5. कृष्णा पत्नि मोहनलाल
6. नरेन्द्र पुत्र मोहनलाल
7. अजय पुत्र मोहनलाल
8. रमेशचन्द पुत्र गुल्लाराम
9. हरसहाय पुत्र गुल्लाराम
10. प्रभूदयाल पुत्र गुल्लाराम
11. मीना पत्नि मुकेश
12. करण पुत्र मुकेश
13. सीता पुत्री मुकेश
14. सोनल पुत्र मुकेश
15. प्रेम पुत्री गुल्लाराम
16. संतोष पुत्र गुल्लाराम
17. राजन्ती पुत्री गुल्लाराम

समस्त जाति मालियान निवासी कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा

..अपीलांट्स

बनाम

1. अभिषेक पुत्र घासी
2. धमेन्द्र पुत्र घासी
3. मुकेश पुत्र घासी
4. राजू पुत्र घासी
5. लल्लू पुत्र घासी
6. संतोष पुत्र घासी
7. सेडू पुत्र घासी
8. लाडो पत्नि घासी

   समस्त जाति माली निवासी कस्बा दौसा झालरा का बास, तहसील दौसा जिला दौसा

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2202 दिनांक 2.3.2023 तन दौसा कलां तहसील दौसा

उपस्थित—1. श्री हेमराज गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा [illegible] अधिवक्ता,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:49:40 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांकः 25.6.2025

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस [illegible] तहसीलदार, दौसा के द्वारा [illegible] नामान्तरण सं0 2202 से व्यथित होकर अपीलांट्स की ओर से [illegible] अपील प्रस्तुत की [illegible]।

Do
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 से 8 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हाल खसरा नंबर 2493, 2601, से 2604 खाता सं0132, 134, 139 तन मौजा दौसा कलां की बाबत पक्षकारान के मध्य दावे चल रहे है। नामान्तरण सं0 2202 अपीलांट को सुने बिना विधि विरूद्ध तरीके से जिसमें लिसपेन्डेन्सी में बेजा तौर पर तस्दीक कर दिया। इस तथ्य की जानकारी जमाबंदी पटवारी हल्का से नकल लेने पर दिनांक 3.5.2023 को हुई जिस पर यह अपील पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बाबत नामान्तरण प्रश्नगत विधि विरूद्ध विधान न्याय प्रकिया के होने की गरज से चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है। अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा जमाबंदी संवत 2072 से 2075 पर लाल स्याही से अंकित पेन्सिली नोट न्यायालय राजस्व मंडल अपील सं. ए.डी. /266/04/दौसा 252/दस्ती उनवानी गुल्ला बनाम गोरधन विरूद्ध निर्णय एस.ओ.कोर्ट आरएए जयपुर कैंप दौसा दिनांक 30.10.2004, मुकदमा नं0 94/01 निर्णय दिनांक 30.10. 2014 में अंकित विवादित भूमि पर आज दिन 17.2.05 तक यथावत रखा जावे। तहसीलदार दौसा द्वारा राजस्व मंडल के निर्णय की अवमानना कर बेजा नामान्तरण किया गया है जो प्रारंभ से ही शून्य है। न्यायालय तहसीलदार दौसा ने एकतरफा कार्यवाही की है अपीलांट व्यथित पक्षकारान को सुना नहीं गया है जो न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। प्रश्नगत आरजीयात की बाबत लंबित अपील दिनांक 7.2.2019 को स्वीकार हुई है। साथ ही प्रकरण रिमांड किया गया है जो न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 2.6.2023 को पेशी पर है। ऐसी सूरत में प्रश्नगत नामान्तरण आदेश विधि विरूद्ध तरीके से बसाज रेस्पों. की गई है। प्रश्नगत नामान्तरण एकतरफा में बिना जानकारी के किया गया है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा पारित नामान्तरण सं0 2202 दिनांक 2.3.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार दौसा द्वारा पारित नामान्तरण सं0 2202 दिनांक 2.3.2023 विरासत का नामान्तरण तस्दीक किया गया है। गोरधन दत्तक पुत्र जैल्या जाति माली निवासी दौसा कलां के फौत होने पर तहसीलदार दौसा द्वारा उक्त विरासत का नामान्तरण तस्दीक किया गया है। तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण खोला गया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5. रेस्पों. सं. 01 से 08 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एतकरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के दस्तावेजों का अवलोकन किया।

7. प्रकरण में प्रार्थीगण का कथन है कि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 पर तहसीलदार महोदय दौसा द्वारा लाल स्याही से अंकित पेंसिल नोट न्यायालय रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर का निर्णय दिनांक 30.10.2014 में अंकित विवादित भूमि पर दिनांक 17.2.2005 पर यथावत रखा जावे अंकित किया गया है एवं तहसीलदार दौसा द्वारा उक्त रेवेन्यू बोर्ड के निर्णय की अवमानना कर नामान्तरण खोला गया है। प्रश्नगत आराजी की भूमि पर अपील दिनांक 7.2.2022 को माननीय राजस्व मंडल द्वारा स्वीकार की गई है सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 2.6.2023 को पेशी पर है एवं ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी का नामान्तरण खोला जाना गलत है।। उक्त नामान्तरण की पूर्व में अपीलांट को जानकारी नहीं थी। अतः नामान्तरण सं0 2202 दिनांक 2.3.2023 ग्राम दौसा कलां को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:49:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

8. अपीलांट्स ने तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण सं. 2202 दिनांक 2.3.2023 पर पारित निर्णय को चुनौती दी गई है। नामान्तरण की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। नामान्तरण सं0 2202 में गोरधन पि.मु. जैल्या की विरासत का नामान्तरण खोला गया है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित नामान्तरण में प्रभावित पक्षकारों को विधिवत सुनवाई की जाकर प्रश्नगत विरासत का नामान्तरण नहीं खोला गया है। हम प्रकरण तहसीलदार दौसा को रिमांड किये जाने योग्य समझते है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.3.2023 जो कि नामान्तरण सं0 2202 वाके ग्राम दौसा कलां पर पारित किया गया है, को निरस्त जाकर तहसीलदार दौसा को इस आशय से रिमांड किया जाता है कि वह राजस्व मंडल अजमेर राज0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.2.2019, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा की अपील सं0 94/2001 एवं 77/2004 निर्णय दिनांक 30.10.2004 एवं न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा के मुकदमा सं0(2003/84) (187/92) निर्णय दिनांक 27.2.2001 का भली भांति अवलोकन कर संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 60 दिवस में उचित निर्णय पारित करें। चूंकि इस अपील में रेस्पों0 बाद तामील उपस्थित नहीं हुए है अतः तहसीलदार दौसा पुनः जरिये नोटिस पक्षकारान की तलबी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 जून, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:49:40 IST
Reason: SelfAttested